

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिवाना

क्रमांक/राजस्व/PGKS/2021/7310

दिनांक:- 19.11.2021

--: आदेश ::--

प्रार्थी वकील द्वारा "खाता दुरुस्ती" हेतु प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिणेर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, राशनकार्ड, पेनकार्ड मजमे आम मे पूछताछ के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भाखरपुरा पटवार मण्डल सिणेर भू.अ.नि. धाराणा तहसील सिवाना जिला वाडमेर की जमावन्दी सम्वत् 20701-2074 में खाता संख्या 112,89 व 73 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है-

क्र. सं	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	भाखरपुरा	खाता संख्या 112 खसरा संख्या 409	गोपालसिंह गोद पुत्र गंगाराम जाति पुरोहित सा.देह खातेदार	गोपालसिंह गोद पुत्र गंगासिंह जाति पुरोहित सा.देह खातेदार
2	भाखरपुरा	खाता संख्या 89 खसरा संख्या 254	गोपालसिंह गोद पुत्र गंगाराम जाति पुरोहित सा.देह खातेदार	गोपालसिंह गोद पुत्र गंगासिंह जाति पुरोहित सा.देह खातेदार
3	भाखरपुरा	खाता संख्या 73 खसरा संख्या 358	गोपालसिंह गोद पुत्र गंगाराम जाति पुरोहित सा.देह खातेदार	गोपालसिंह गोद पुत्र गंगासिंह जाति पुरोहित सा.देह खातेदार

(कुसुमलता चौहान)

शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना
प्रशासन गांव के संग अभियान- 2021

क्रमांक - प्र.गा.क.स./2021/7311-13

दिनांक- 19.11.2021

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार सिवाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री गोपालसिंह गोद पुत्र गंगासिंह जाति पुरोहित निवासी भाखरपुरा तहसील सिवाना को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावाली।

(कुसुमलता चौहान)

शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना
प्रशासन गांव के संग अभियान- 2021